न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00021 (124/2016) 223 आरटीएक्ट

1. विमला धर्मपत्नि स्व० श्री श्योबीर पुत्र स्व० श्री मदन,
2. कृष्ण
3. बाला
4. सुमन
5. रेखा

पिसरान स्व० श्री श्योबीर पुत्र स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी ग्राम भरवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

6. रतीराम पुत्र स्व० श्री मदनलाल, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा
7. परमेश्वरी धर्मपत्नि स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा,
8. राजू पुत्र स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
9. गंगा पुत्री स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
10. कौशल्या पुत्री स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ ––अपीलांट/वादीगण

बनाम

1. मोहरा पुत्री रामजी धर्मपत्नि श्री उदमीराम, जाति जाट, निवासी खेड़ी, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. चिंरजी
3. रणधीर
4. रोशनलाल

पुत्रगण शांति पुत्री रामजी पत्नि मनोहरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम खेड़ी, तहसील व जिला हनुमानगढ़ ––असल रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या–19 से 22

5. लक्ष्मणदास पुत्र छोगमल, जाति महाजन, निवासी 245 बिनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. हरबाई बेवा छोगमल, जाति महाजन, निवासी 245 बिनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. सावित्री बेवा नागरमल, जाति महोजन, निवासी 32–बी ब्लॉक श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. जुगलकिशोर
9. लीलाधर

पिसरान नागरमल, जाति महाजन, निवासी 32–बी ब्लॉक, 19–7 श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

10. चेतराम पुत्र श्रीमति दुर्गादेवी जाति महाजन, निवासी जैतोमड़ी मार्फत मै0 पूणचन्द पवन कुमार किरयाना मचेन्ट जैतामण्डी, जिला फरीदकोट (पंजाब)
11. प्रेम कुमार पुत्र श्रीमति दुर्गादेवी जाति महाजन, निवासी बठिण्डा मार्फत स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एमएससी ब्रांच नजदीक दुर्गा मंदिर बठिण्डा (पंजाब)
12. भगवन्तराम पुत्र श्रीमति दुर्गादेवी जाति महाजन, निवासी बाघा पुराना एलडीसी पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड बाघा पुराना, जिला फरीदकोट (पंजाब)
13. मोहनलाल पुत्र श्रीमति दुर्गादेवी जाति महाजन, निवासी जैतामेड़ी मार्फत मै0 मितल हाऊस जैतामेड़ी जिला फरीदकोट (पजाब)
14. गंगादेवी पुत्री श्रीमति दुर्गादेवी धर्मपत्नि देवीचन्द,, जाति महाजन, निवासी जान छावनी, मार्फत मै0 ब्रदीप्रसाद जगन्नाथ बाजार नबर–2 फिरोजपुर (पंजाब)
15. कृष्णा पुत्री श्रीमति दुर्गादेवी, जाति महाजन पति श्री जगननाथ, निवासी फिरोजपुर मार्फत मै0 ब्रदीप्रसाद–जगननाथ, बाजार नम्बर–2 फिरोजपुर (पंजाब)
16. सन्तोष पुत्री श्रीमति दुर्गादेवी, जाति महाजन पत्नि श्री नारायणदास, निवासी फरीदकोट मार्फत श्रीमति मैसर्स बृजलाल, बलदेवराम माल रोड फरीदकोट (पंजाब)
17. रंजनी पुत्री श्रीमति दुर्गादेवी, जाति महाजन पत्नि श्री विजय कुमर, निवासी देहली, 1234 कूचा चेलन खारी, बावली. देहली–
18. कमला पुत्री छोगमल धर्मपत्नि नत्थूराम, जाति महाजन, गोयल रेस्टोरेन्ट कार्ट, रोड़, बठिण्डा (पंजाब) –
19. इन्दिरा पुत्री छोगमल धर्मपत्नि श्यामसुन्दर, महाजन स्टोक, मैन पंचायत समिति, महाजन, स्टोक मैन पंजाब समिति, हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ–
20. गोपीराम पुत्र छोगमल, जाति महाजन, निवासी 32–बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
21. महावीर पुत्र छोगमल, जाति महाजन, निवासी 245 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर–
22. स्टेट, जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

–रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण 1 से 18

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा, बमुकदमा राजस्व वाद संख्या–148/2003 शीर्षक श्योबीर (फौत) मु० विमला आदि बनाम लक्ष्मणदास आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4

श्री राजेश रोकणा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 9

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 22

निर्णय दिनांकः—23.03.2020

1. प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रतिवादीगण संख्या—1 से 17 के विरूद्व प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु इन अभिकथनों के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया था कि मौजा भरवाना में पहले एक हरीराम का नाम का बनिया रहता था जिसके दो लड़के दौलतराम व छोगाराम हुये जो सम्वत 1990 से पहले ही मौजा भरवाना की सकूनत तर्क कर मौजा श्रीगंगानगर में जाकर आबाद हो गये तथा दौलतराम आज से करीबन 30 साल पहले लावल्द फौत हो चुका है तथा छोगाराम भी 13—14 साल पहले फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या—1 से 17 है। उक्त दौलतराम—छोगाराम पिसरान हरीराम अकवाम महाजन ने आराजा मुतनाजा साबिका खसरा नम्बर—36 तादादी 122 बीघा खाम जो पैमायश सम्वत 2000 72 बीघा 18 बिस्वा पुख्ता वाकै रोही मौजा भरवाना तहसील भादरा में परिवर्तित हुई जो भाखरा नहर आने के बाद एकीकरण में मु0नं0 4 के किला नम्बर—21 में तहसील भादरा में परिवर्तित हुई क किला नम्बर—21 ता 25, मु0नं0 5 किला नम्बर—21 ता 24. मु0न0 8 किला नम्बर—1 से 23. मु0 नं0 9 किला नं. 1 से 25, मु0नं0 20 किला नम्बर—1 से 10 व मु0न0 21 किला नम्बर—1 ता 3 व 8 से 10 कल तादादी 73 बीघा किला वाके रोही चक डीपीएन तहसील भादरा में परिवर्तित हुई, का वाद सख्या—45 मरजुआ दिनाक 21—12—45 फसला दिनांक 22—05—47 अनवानी दौलाराम आदि बनाम ठाकर आदि अदालत मुन्सफी भादरा में बाबत लगान अदायगी व बेदखली ठाकर व रामजी को आराजी मुतनाजा का सब टिनेंट मानते हुये पेश किया था जो बाद दिनांक 22 05—47 को डिक्री हुआ मगर उस डिक्री की पालना नहीं हुई और उसी दौरान एक आर्डिनेंस ''दी राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंटस ओरिडीनेंस. 1949'' जारी हुआ तथा उसके मुताबिक ठाकर व रामजी को भी काश्तकार माना गया और आराजी मुतनाजा से उनकी बेदखली बन्द कर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दी गई तथा दौलतराम व छोगाराम आराजी मुतनाजा कब्जा ठाकर व रामजी से प्राप्त नहीं कर सके तथा इसके बाद दौलतराम व छोगाराम ने एक वाद संख्या–1 मरजुआ दिनांक 12–02–52 ताफैसला 04–01–56 व अदालत ए0सी0 (एस0डी0ओ0) नोहर में बअनवानी दौलतराम आदि बनाम ठाकर आदि वाद बाबत वसूली लगान पेश किया जो बाद तहकीकात दिनांक 04–01–56 को प्रतिवादीगण ठाकर व रामजी को आराजी मुतनाजा का काश्तकार मानते हुये तथा उनका आराजी मुनाजा पर एडवर्स पोसेजन मानते हुये तथा वाद वादीगण मियाद बाहर मानते हुये खारिज हुआ। यह कि उक्त भूमि अपीलांट के दादा ठाकर व रामजी के कब्जा में रही व उसके बाद अपीलांट के पूर्व मदन के कब्जा काश्त में चली आई। इस भूमि पर अपीलांट के टयूबवैल व पुरानी ढाणी बने होने का कथन करते हुये रेस्पोडेंट संख्या–5 से 21/प्रतिवादीगण संख्या–1 से 17 के विरूद्व खातेदारी अधिकारों का अनुतोष चाहा। यह कि उक्त भूमि पर अपीलांट के पड़दादा ठाकरराम के सगे भाई रामजी का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि ठाकरराम के फौत होने के बाद यह भूमि उनके एक मात्र पुत्र मदन के कब्जा काश्त में रही। रामजीलाल के पुत्र सन्तान नहीं थी तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी धर्मपत्नि श्रीमति चन्दो ने मौजा भरवाना तहसील भादरा की सकुनत तर्क कर मौजा खेड़ी तहसील सिरसा में अपनी लड़कियों के पास आबाद हो गई तथा इस भूमि पर उसका अथवा उसकी पुत्रियों व दोहितों का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा व ना ही इस भूमि की रकमराज जमा करवाई गई। स्व० श्री रामजीलाल के वारिसान उसकी धर्मपत्नि चन्दो व रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र में पक्षकार बनने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 ने जबावदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुये प्रश्नगत भूमि पर काबिज होने व इस भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करने व खाता विभाजन का अनुतोष याचित किया। अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का विरोध करते हुये जबावुल जबाव प्रस्तुत किया तथा यह कथन किया कि प्रश्नगत 73 बीघा भूमि पर उनका कब्जा कभी नहीं रहा बल्कि 30 वर्ष पूर्व हुये बंटवारा में उन्हें दीगर भूमि प्राप्त हुई थी जिसे उन्होंने मुन्तकिल कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर 6 तनकियात कायम की और अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2016 पारित करते हुये विवाधक संख्या–1 का निर्णय अपीलांट के

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्व व विवाधक संख्या–2 व 3 का निर्णय अपीलांट के पक्ष में तथा विवाधक संख्या–4 व 5 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 के पक्ष में करते हुये प्रश्नगत 73 बीघा भूमि में रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 का 1/2 हिस्सा खातेदार घोषित करते हुये राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश फरमाये हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 9 ने क्रोस आब्जेक्शन पेश किया।

2. **उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।**

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2016 कतई गलत, विधि विरूद्व एवं है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या–1 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व व विवाधक संख्या–4 व 5 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 के पक्ष में करने में तथ्य व विधि की भूल की है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन व विश्लेषण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त विवाधकों के सम्बन्ध में पारित अवधारणा हस्तक्षेप योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या–1 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व करने में मनमाना व अनुचित निष्कर्ष पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 ना तो भरवाना तहसील भादरा में निवास किया व ना ही प्रश्नगत भूमि पर वे स्व0 रामजीलाल के देहान्त उपरान्त कभी काबिज रहे। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 निवासी खेड़ी तहसील व जिला सिरसा के निवासी हैं तथा यह तथ्य उनके जबावदावा व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी से प्रमाणित है। **प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट संख्या–5 से 17 की खातेदारी थी तथा इन खातेदारों के विरूद्ध प्रतिकूल धारण का अभिवाक मात्र अपीलांट का था।** रेस्पोडेंट संख्या–1 **से 4 ने उक्त मूल खातेदारों के विरूद्ध प्रतिकूल धारण के आधार पर कोई वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।** रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 का काउण्टर क्लेम सिर्फ वादीगण/अपीलांट के विरूद्ध था। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 अपीलांट के विरूद्व कथित आधारों पर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि में अपना हक घोषित करवाने के अधिकारी नहीं थे। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 के काउण्टर क्लेम में वर्णित अभिवचनों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर कि दौलतराम व छोगाराम ने ठाकरराम व रामजीलाल के विरूद्व वादपत्र प्रस्तुत किया था तथा इस कारण ठाकरराम व रामजीलाल का कब्जा सम्वत 2012 से पूर्व का साबित है, रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या–1 से 4 का काउण्टर क्लेम स्वीकार करने में विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 ने जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है उससे प्रश्नगत भूमि पर उनका निरन्तर व निर्बाध कब्जा साबित नहीं था। **प्रश्नगत भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि नहीं थी बल्कि राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेंट संख्या–5 से 21 की खातेदारी भूमि थी। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 के लिये कानूनी तौर पर यह आवश्यक था कि वे रेस्पोडेंट संख्या–5 से 21 के विरूद्व उनके खातेदारी अधिकारों को इन्कार करते हुये निरन्तर व निर्बाध रूप से अपना प्रतिकूल धारण स्वतन्त्र रूप से पृथक दावा के जरिये साबित करते।** हस्तगत वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या–5 से 21 प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार थे तथा रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 भी प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार थे। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 को अपना काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण संख्या–5 से 21 के विरूद्व प्रस्तुत करना चाहिए जो कि हस्तगत वादपत्र में सम्भव नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 की ओर से अपीलांट के विरूद्व प्रस्तुत काउण्टर क्लेम में रेस्पोडेंट संख्या–5 से 17 की भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा विधि विरूद्व रूप से प्रदत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक पहलू को कतई नजरन्दाज किया है। **रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 की ओर से जो दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत की गई है वह वादपत्र प्रस्तुत होने से करीब 30 वर्ष पुरानी है। वादपत्र प्रस्तुतीकरण के समय अथवा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने के समय प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 का कब्जा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं हैं। कानूनन प्रतिकूल धारण के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र अथवा काउण्टर क्लेम में निरन्तर कब्जा होना आवश्यक शर्त है।** अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या–4 व 5 का निर्णय करते समय प्रश्नगत भूमि पर ठाकर व रामजी की संयुक्त काश्त मानी है। रेस्पोडेंट संख्या–1 से 4 की अपीलांट के साथ संयुक्त काश्त होने का तथ्य ना तो साबित हुआ है व ना ही इस बिन्दू को अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों विवाधकों को तय करते समय विचार किया है। दावा में रेस्पोडेण्ट को काउण्टर क्लम पेश करने का अधिकार नहीं है। काउण्टर क्लेमम में रेस्पो0 सं0 1 ता 4 ने अपना कब्जा साबित नहीं किया है कब्जा काश्त हमारी है। हमने कब्जा के संबंध में दस्तावेज पेश किये हैं। इनका काउण्टर क्लेम खातेदार काश्तकार के विरूद्ध हो सकता है वादीगण के विरूद्ध नही हो सकता है। रेस्पो0 सं0 1 ता 4 को अलग से वावद पेश करना चाहिए था। इस प्रकार विवाधक संख्या–4 व 5

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पलटने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2016 विवादक संख्या–1, 4 व 5 की हद तक अपास्त फरमाते हये विवाधक संख्या–1 का निर्णय अपीलाण्ट के पक्ष में व विवादक संख्या 4 व 5 का निर्णय रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष में फरमाया जावे तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 9 को अपील में क्रॉस आब्जेक्शन पेश करने का अधिकार नहीं है उसे अपनी अलग से अपील करनी चाहिए अत रेस्पो0 सं0 9 का क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूम पहले रामजी ठाकुर व उसके देहान्त होने के बाद वावदीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 23 के मुतवातिर कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीगण ने दावा में यह कतई गलत दर्ज किया है कि मदन व अब वादीगण अकेले कब्जा काश्त में हें। सम्वत 1990 में ठाकूर राम जी के कब्जा काश्त में होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 17 का कोई हक हिस्सा ना होना स्वीकार है लेकिन विवादग्रस्त भूमि के निस्फ हिस्सा के वादीगण तथा निस्फ हिस्सा के प्रतिवादी नं0 19 ता 23 ख्चाातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं0 1 ता 17 का नाम कतई ही गलत दर्ज हुआ है स्वीकार है लेकिन शेष प्रतिवादीगण निस्फ हिस्सा व निस्फ हिस्सा के प्रतिवादीगण नं0 19 ता 23 खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण को घोषणा कराने की बात स्वीकार नहीं है तथा वादीगण को निस्फ हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 19 ता 23 को निस्फ हिस्सा का खतोदार काश्तकार माने तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। विवाद ग्रस्त भूम पहले वादीगण तथा प्रतिवादीगण के बुजुर्ग ठाकुर रामजी के सं0 1990 से पहले कब्जा काश्त में अपने जीवन काल तक चली आ रही थी बाद देहान्त रामजी ठाकूर अ वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं0 19 ता 23 के मुतववाति शांति पूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीगण ने लालचवश प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 23 का हक समाप्त करने के लिए ही वगैरह प्रतिवादीगण संव 19 ता 23 को फरीक दावा पेश किया था। वादीगण को मालूम है कि उनका हक भूमि में निस्फ हिस्सा है फिर भी अकेले नाम उक्त भूमि दर्ज कराने का दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण निस्फ हिस्सा तथा शेष निस्फ हिस्सा में प्रतिवादीगण का 19 ता 23 काबिज खातेदार

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हैं। प्रतिवादीगण जरिये काउण्टर क्लेम विवादग्रस्त भूमि वादीगण निस्फ हिस्सा तथा प्रतिवादीया सं0 19 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीया सं0 20 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 21 ता 23 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण अपने निस्फ हिस्सा का किस्म अनुसार खाता व लागान तकसीम कराकर अलग अलग दर्ज कराने के अधिकारी हैं। तहसीलदार भादरा की रिपोट के अनुसार रामजीलाल ठाकर पिसरान भोजा के नाम 33 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज हुई थी जो इनतकाल सं0 42 के अनुसार चन्दो बेवा रामजी व मदन वल्द ठाकर ब0हि0ब0 विरास्तन दर्ज हुर्ठ। साढे 16 बीघा भूमि मदन लाल ने दले सिंह को विक्रय कर दी व चन्दो ने अपना हिस्सा सुरेन्द्र को बेचान कर दिया। 6 बीघा भूमि में 80 हिस्सा मदन व घुड़की ने विक्रय कर दिया मोहरा पुत्री रामजीलाल के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज है। वाद भूमि कुल 73 बीघा है जिसमें 13 बीघाभूमि बारानी दर्ज है तथा 60 बीघा भूमि नहरी इाकर व रामजी पृथक–पृथक 2 इकाई है, जिनको सिलिंग सीमा तक प्रत्येक को 62–1/2, 62–1/2 नहरी भूमि धारण करने का कानूनी अधिकारी है। इस प्रकार रामजीलाल व ठाकर के नाम से दर्ज आराजी सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 / रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 का हमारा काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रतिवादी को काउण्टर क्लेम पेश करने का अधिकार है। जबाबुल जवाब में अपीलाण्ट ने यह कहा है कि हमको जमीन दे दी गई है मगर कौनसी जमीन दी गई है उसका विवरण नही दिया गया है। हमारा काउण्टर क्लेम वादी तथा पूर्व के खातेदार काश्तकार के विरूद्ध है। हमें काउण्टर क्लम पेश करने का अधिकार है। काउण्टर क्लेम को भी दावा ही माना जाता है। इश्यू नं. 4 व 5 हमारे हक में निर्णत किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा कब्जा पूर्व का माना है तथा खातेदार घोषित किया है। हमने दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं प्रदर्श 1, 2, 3, 4 हमारे है जो तीनों जो तीनों चंदो के नाम से हैं दावा दायरी तक रामजीलाल व ठाकर राम की पर्चा पेश हुई जिनमें इनका नाम है। गिरदावरी में रामजीलाल का नाम है। टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 (घ) में विधवा का पजेशन सह खातेदार है तो उसका भी माना जावेगा। अपीलाण्ट 1/2 हिस्से से ज्यादा भूमि अपने नाम से नहीं करवा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे तथा रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 9 का क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1999 पेज 55, आरआरडी 1993 पेज 12, आरआरटी 2014 (2) पेज 1431, आरआरटी 2018 (2) पेज 1268 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. **विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 9 के अधिवक्ता** ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टान के द्वारा उपरोक्त अनवानी अपील सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, भादरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 के खिलाफ प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 148/2003 अनवानी श्योबीर वगैरा बनाम लक्ष्मणदास वगैरा आज्ञाप्त करते हुए वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 8 डीपीएन के मुरब्बा नम्बर 4 का किला नम्बर 21 ता 25, मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 21 ता 24, मुरब्बा नम्बर 8 का किला नम्बर 1 ता 23, मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 1 से 25, मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 10, मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 ता 3 व 8 ता 10 कुल 73 बीघा नहरी/बारानी में प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 22 मौजूदा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 4 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर बराबर 1/2 भाग एवं वादीगण संख्या 1 ता 6 मौजूदा अपीलान्टान को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर बराबर 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया एवं वादग्रस्त भूमि में से छोगमल का नाम कलमजन किया गया। हस्तगत अपील में अपीलान्टान की ओर से रेस्पो. संख्या 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित करने के आंशिक आदेश से व्यथित होकर हस्तगत मूल अपील प्रस्तुत की है।

6. उक्त अपील में प्रार्थी/ रेस्पों, संख्या 9 पर सम्मन बनाम रेस्पो. की तामील होने पर तामील की अवधि से तीस दिवस के भीतर प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 9 की ओर से निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 के खिलाफ आदेश 41 नियम 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन क्रोस ऑब्जैक्शन प्रस्तुत किये है। अपीलान्टान/वादीगण के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक वाद दिनांक 28.12.92 को धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादग्रस्त 73 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर यह कथन किया कि हरीराम नाम का बनिया था जिसके दो पुत्र दौलतराम एवं छोगाराम थे। दौलतराम एवं छोगाराम फौत हो चुके है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वाद संख्या 45/1945 निर्णय दिनांक 22.05.1947 अनवानी दौलतराम वगैरा बनाम ठाकर वगैरा डिक्री हुआ लेकिन यह स्वीकार किया कि इस डिक्री

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की पालना नहीं हुई। दी राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनैन्टस ओरडिनैन्स 1949 जारी होने पर ठाकर व रामजी को काश्तकार मानकर उक्त वर्णित भूमि से उनकी बेदखली बन्द कर दी गयी एवं दौलतराम व छोगाराम भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं कर सके। आगे यह अंकित किया कि दौलतराम व छोगाराम ने वाद संख्या 1/1952 अदालत एस.डी.ओ. नोहर में अनवानी दौलतराम वगेरा बनाम ठाकर वगैरा प्रस्तुत किया जिसमें ठाकर व रामजी को भूमि का एडवर्स पोजेशन के आधार पर काश्तकार मानते हुए वाद मियाद बाहर होने के कारण खारिज किया गया। आगे यह अंकित किया कि भूमि अपीलांट के दादा ठाकर व रामजी के कब्ज में रही तथा उसके उपरान्त अपीलांटान के कब्जा में चली आ रही है एवं कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 9 एवं अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ बिना विधिसम्मत तामील करवाये एकपक्षीय कार्यवही अमल में लाकर एवं रेस्पो. संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर तथा काउन्टर क्लेम के माध्यम से निस्फ हिस्सा का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर छह तनकीयात कायम की एवं बाद साक्ष्य तनकीयात का निर्णय करते हुए वाद पत्र को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर एवं पूर्व पारित डिक्री, जिसकी कभी भी पालना नहीं हुई एवं यह स्वीकृत तथ्य था, के आधार पर अपीलान्टान को निस्फ हिस्सा का एवं रेस्पो. संख्या 1 ता 4 को निस्फ हिस्सा का खातेदार घोषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्र के विचारण दौरान न तो आवश्यक प्रतिवादीगण को व्यक्तिगत रूप से तलब किया एवं ना ही तलब कर जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादीगण मृतक छोगाराम के विधिक वारिसान थे जिनका विधिक हित वादग्रस्त भूमि में निहित था लेकिन कभी भी प्रतिवादीगण को विधिवत रूप से तलब करने का कोई प्रयास दौराने विचारण वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत पारित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकीयात के आधार पर वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम का निर्णय किया एवं अभिवचनों में तथा बहस में पूर्व की डिक्री, जिसकी की पालना नहीं हुई एवं इसके उपरान्त एडवर्स पोजेशन के आधार पर टाईम बार्ड मानते हुए वाद के निरस्त होने का उल्लेख किया लेकिन इन

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दस्तावेजों को अपने निर्णय का आधार नहीं बनाया तथा ना ही किसी भी तनकी में इसका विवेचन किया है इसलिये ऐसी स्थिती में अपीलीय स्तर पर अपीलान्ट अधिवक्ता का उक्त कथित डिक्री जिसकी की कभी भी पालना नहीं हुई, के आधार पर बहस समात करना एवं छोगाराम का विधिक हित वादग्रस्त भूमि में से समाप्त हो जाना कथन करना हस्तगत अपील से अथवा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से कतई सम्बन्धित नहीं है। यहां यह निवेदन करना आवश्यक होगा कि मियाद अधिनियम के आर्टिकल 136 के अनुसार डिक्री की पालना करवाये जाने की अवधि 12 वर्ष है जो डिक्री की दिनांक से प्रारम्भ होती है एवं धारा 48 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार 12 वर्ष के अन्दर डिक्री की पालना ना करवाये जाने पर डिक्री का प्रभाव समाप्त हो जाता है। Article 136 of the Limitation Act] 1963 (for short 'the Act') prescribes a period of twelve years for the eÛecution of any decree (other than a decree granting a mandatory injunction) or order of any civil court- It provides that the period would commence when the decree or order becomes enforceable

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपीलान्टान एवं रेस्पो. संख्या 1 ता 4 को निस्फ निस्फ हिस्सा का खातेदार घोषित किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे आधार पर निर्णय व डिक्री पारित करने में अहम विधिक भूल की है क्योंकि दौराने विचारण वाद माननीय राजस्व मंडल, अजमेर की पूर्ण पीठ का निर्णय 2011 आर. बी.जे. पृष्ठ संख्या 388 अस्तित्व में आया जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा अथवा लम्बे कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का कोई प्रावधान नहीं होना एवं इस आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, प्रतिपादित किया गया। उक्त अहम निर्णय समरत अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी था लेकिन अधीनरस्थ न्यायालय द्वारा इस अहम बिन्दु को दरकिनार करते हुए एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपीलान्टान को निरफ हिस्सा का एवं रेस्पो. संख्या 1 ता 4 को निरफ हिस्सा का खातेदार घोषित करने का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णयाधीन आदेश एवं डिक्री पारित कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृटान्त 2011 RBJ 387 (F.B.) 2011, RRD 508 (F.B.) में यह अभिनिर्धारित है कि ADVERSE POSSESSION & On the basis of adverse possession no khatedari rights accrues to any person on agricultural land- उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त को आदिनांक तक माननीय राजस्व मंडल के सैंकडो न्यायिक दृष्टान्तों में अनुसरन किया जा चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने अनेकों निर्णयों में इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी सन्दर्भ में पुनः माननीय राजस्व मंडल, अजमेर की पूर्ण पीठ के द्वारा 2018 आर.बी.जे. पृष्ठ संख्या 595 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि 2011 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 508 पर पारित निर्णय उन समस्त प्रकरणों पर लागू होगा जो उक्त निर्णय पारित होने की दिनांक को तत्समय विचाराधीन थे। 2018 RBJ 595 (F.B.) In the Pending appeals, the appellate courts are required to take into account and give effect to the law laid down by full bench of the Board in Sitaram's case, notwithstanding the fact that khatedari tights have been conferred by the subordinate courts under the Larger Bench judgment rendered in Bagga's case- अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.2016 को पारित किये जाने की दिनांक को पूर्ण पीठ के उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रभावी थे जो कि अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी थे एवं इन सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते थे लेकिन प्रचलित विधि को दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक मस्तिष्क की कमी को जाहिर करता है एवं इस आधार पर निर्णय एवं डिक्री जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उक्त तथ्य प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से अपने क्रोस ऑब्जैक्शन के सन्दर्भ में मैरिट पर अंकित किये गये है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकारविहिन है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 9 बहैसियत रेस्पो. एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री से व्यथित होने के कारण आदेश 41 नियम 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रोस ऑब्जैक्शन प्रस्तुत करने का अधिकारी है। उक्त अधिनियम के प्रावधान निम्न है : Order 41 Rule 22 – Upon hearing respondent may object to decree as if he had preferred a separate appeal- & (1) Any respondent , though he may not have appealed from any part of the decree, may not only support the decree (but may also state that the finding against him in the Court below in respect of any issue ought to have been in his favour; and may also take any cross objection) to the decree which he could have taken by way of appeal provided he has filed such objection in the Appellant court with in one month from the date of service on him or his pleader of notice of the day fixed for hearing the appeal- or within such further time as the Appellate Court may see fit to allow- माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन बनाम रेस्पोडेन्ट की तामील प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 9 पर होने पर एक माह की अवधि के अन्दर अन्दर प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 9 के द्वारा निर्णय व डिक्री से व्यथित होने के नाते क्रोस ऑब्जैक्शन प्रस्तुत किये है एवं आधार प्रस्तुत किये है जिनके आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश 41 नियम 22(4) के प्रावधानों के अनुसार माननीय न्यायालय को क्रोस ऑब्जैक्शन का निस्तारण करना होगा। प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 9 यहां यह भी तकनीकी बिन्दुओं पर निवेदन करता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 मृतकों के खिलाफ पारित किया है एवं कानूनन मृतक के खिलाफ पारित डिक्री शून्य है। इसी सम्बन्ध में प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 9 की ओर से अपने मीमो ऑफ क्रोस ऑब्जैक्शन में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के विचारण दौरान प्रतिवादी संख्या 6 हरबाई बेवा छोगमल का देहान्त सन् 2007 में, प्रतिवादी संख्या 7 सावित्री बेवा नागरमल का देहान्त सन् 2013 में, प्रतिवादी संख्या 14 कमला पुत्री छोगमल का देहान्त सन् 2012 में, प्रतिवादी संख्या 15 इन्दिरा पुत्री छोगमल का देहान्त सन् 2014 में, प्रतिवादी संख्या 10 गंगादेवी पुत्री दुर्गादेवी का देहान्त सन् 2008 में एवं कृष्णा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पुत्री दुर्गादेवी का देहान्त सन् 2010 में हो चुका था। प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 9 के उक्त तथ्यों के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गयी है जिनका कोई खण्डन नहीं है एवं यह स्वीकृत तथ्य है कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 मृतकों के खिलाफ बिना विधिक प्रतिस्थापन किये पारित किये गये है जो कि शून्य है। इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त स्पष्ट है :–AIR 2017 Supreme Court 2419 Civil Procedure Code, 1908 – Order 2, Rules 3 and 4 read with Section 100—Specific Relief Act, 1963 – Section 20 & Substitution Suit for Specific performance of contract & Appeal could be revived for hearing only when proposed legal representatives of deceased persons had filed application for substitution of their names and secondly, they had applied for setting aside of abatement under order 22 rule 9 of CPC&Decree passed by court] if it is a nullity, its validity can be questioned in any proceeding including in execution proceeding or even in collateral proceedings whenever such decrec is sought to be enforced by decree holder – Decree passed by a court for or against a dead person is a nullity- 2010 RRT (2) 1207, 1982 RRD 525, 1977 RRD 438 उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तों में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के खिलाफ अथवा पक्ष में पारित की गयी डिक्री शून्य है। हस्तगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाहिरा तौर से निर्णय एवं डिक्री मृतक के खिलाफ पारित किया है इसलिये शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

9. हस्तगत अपील के विचारण दौरान भी रेस्पों. संख्या 20 गोपीराम पुत्र छोगमल का देहान्त दिनांक 01.02.2017 को एवं रेस्पो. संख्या 21 महावीर पुत्र छोगमल का देहान्त दिनांक 17.06.2018 को हो गया जिनका विधिक प्रतिस्थापन अपीलान्टान के द्वारा नहीं करवाये जाने पर हस्तगत अपील भी अबेट हो चुकी है महज प्रार्थी/रेस्पों संख्या 9 के द्वारा प्रस्तुत क्रोस ऑब्जैक्शन पर ही अब माननीय न्यायालय को अपना निर्णय पारित करना शेष है जिसके अनुसरण में प्रार्थी संक्षेप में पुनः यहां यह निवेदन करता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय व डिक्री जेर अपील मृतकों के खिलाफ पारित की है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है क्योंकि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान धारा 88 अथवा राजस्थान काश्तकारी के किसी भी प्रावधान में नहीं है। 12 वर्ष से अधिक समय तक डिक्री की पालना ना करवाये जाने के फलस्वरूप पूर्व पारित किसी भी डिक्री का कोई प्राथमिक लाभ अपीलान्टान अथवा रेस्पोडेन्टान को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ऐसी कोई भी डिक्री धारा 48 सी.पी. सी. एवं आर्टिकल 136 मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः हस्तगत अपील सव्यय निरस्त किये जाने योग्य एवं प्रार्थी/रेस्पो, संख्या 9 की ओर से प्रस्तुत क्रोस ऑब्जैक्शन स्वीकार किये जाने योग्य है। लिहाजा लिखित बहस प्रार्थी/रेस्पों संख्या 9 लीलाधर की ओर से मय न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित कानूनी व वाकेआती बिन्दुओं पर अपील अपीलान्टान निरस्त फरमायी जावे एवं क्रोस ऑब्जैक्शन प्रार्थी/रेस्पों, संख्या 9 स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.06.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा निरस्त फरमाई जावे।

10. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

12. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज असल रसीद मालीरकम एवं असल रसीद आबयाना दसतावेज असल दस्तावेज होने के कारण एवं अपील के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने के कारण इन्हें अभिलेख पर लिया जाना उचित हैं लिहाजा प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता जाकर प्रश्नगत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

13. तनकी वाईज निर्णय निम्न प्रकार हैः–

14. तनकी संख्या –:– (1) आया कि वादीगण आराजी जरई मु0नं0 4 के किला नम्बर–21 ता 25 की 5 – बीघा मु0नं0 5 के किला नम्बर–21 ता 24 की 4, मु0नं0 8 के किला नं. 1 ता 23, मु0नं0 9 किला नम्बर–1 ता 25, मु0नं0 20 किला नम्बर–1 ता 10, मु0नं0 21 की 1 ता 3, 8 ता 13 की 6 बीघा कुल तादादी 73 किला वाक रोही चक 8 डीपीएन तहसील भादरा के बहि0ब0 खातेदार काश्तकार हैं ? –वादीगण/अपीलाण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

15. तनकी सं0 2 आया वादीगण जमाबन्दी दुरूस्त करा आराजी मुतनाजा से मृतक छोगाराम व छोगमल का नाम कलमजन कराने के अधिकारी हैं ? ––वादीगण/अपीलाण्ट

16. तनकी संख्या 4– कि आया विवादित भूमि में वादीगण निरफ हिस्सा के व प्रतिवादीगण संख्या–19 ता 22 निस्फ हिस्सा के मश्तर्का खातेदार काश्तकार हैं––प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 4

17. उपरोक्त तीनों तनकियात एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अपीलाण्ट/वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया है कि दौलतराम आदि ने ठाकरराम आदि के विरूद्ध उपरोक्त भूमि के संबंध में बेदखली का वाद पेश किया था जो दिनांक 22.05.47 को डिक्री हुआ लेकिन दौलत राम आदि उस डिक्री की पालना में कब्जा प्राप्त नहीं कर सके। अपीलाण्ट/वादीगण ने अपने वाद में यह कथन किये हैं कि संवत 1990 से 1998 तक अपीलाण्ट/वादीगण के दादा भोजाराम व उसके बाद वादीगण के दादा ठाकर व रामजी व उसके पिता मदन व वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वे इस भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। साक्ष्य में पी–डब्ल्यू 1 श्योवीर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि भोजाराम की मृत्यु हुए लगभग 50–55 वर्ष हो गये हैं। भोजराम ने 60–62 वर्ष पहले चार आना बीघा रकम के बदले वास्ते काश्त सदा के लिए हिस्सा पर ली थी जो भोजाराम के मरने के बाद ठाकर व रामजी के कब्जा काश्त में थी उसके बाद हमारे कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलाण्ट/वादीगण ने यह कथन स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि पर ठेके पर शुरू में काश्त की थी अर्थात **अपीलाण्ट/वादीगण के कथनों के मुताबिक उन्होंने प्रश्नगत भूमि में प्रवेश खातेदार की अनुमति के अधीन किया था। प्रथमतया कानूनन अनुमतिअधीन की गई काश्त पर प्रतिकूल धारण परिपक्व नहीं हो सकता। प्रतीकूल धारण के लिए उसे अपने प्रवेश करने की तिथि बतानी होगी तथा वह खातेदार/मालिक की अनुमति के बिना डांग के बल पर काबिज हो तभी प्रतिकूल धारण परिपक्व हो सकता है। ऐसी कोई अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 की और से साक्ष्य नहीं आई है। द्वितीय यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपीलान्टान एवं रेस्पो. संख्या 1 ता 4 को निस्फ निस्फ हिस्सा का खातेदार घोषित किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा के**

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे आधार पर निर्णय व डिक्री पारित करने में अहम विधिक भूल की है क्योंकि माननीय राजस्व मंडल, अजमेर की पूर्ण पीठ का निर्णय 2011 आर. बी.जे. पृष्ठ संख्या 388 अस्तित्व में आया जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा अथवा लम्बे कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का कोई प्रावधान नहीं होना एवं इस आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, प्रतिपादित किया गया। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृटान्त 2011 RBJ 387 (F.B.) 2011, RRD 508 (F.B.) में यह अभिनिर्धारित है कि ADVERSE POSSESSION & On the basis of adverse possession no khatedari rights accrues to any person on agricultural land- उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त को आदिनांक तक माननीय राजस्व मंडल के सैंकडो न्यायिक दृष्टान्तों में अनुसरण किया जा चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने अनेकों निर्णयों में इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी सन्दर्भ में पुनः माननीय राजस्व मंडल, अजमेर की पूर्ण पीठ के द्वारा 2018 आर.बी.जे. पृष्ठ संख्या 595 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि 2011 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 508 पर पारित निर्णय उन समस्त प्रकरणों पर लागू होगा जो उक्त निर्णय पारित होने की दिनांक को तत्समय विचाराधीन थे। 2018 RBJ 595 (F.B.) In the Pending appeals, the appellate courts are required to take into account and give effect to the law laid down by full bench of the Board in Sitaram's case, notwithstanding the fact that khatedari tights have been conferred by the subordinate courts under the Larger Bench judgment rendered in Bagga's case- अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.2016 को पारित किये जाने की दिनांक को पूर्ण पीठ के उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रभावी थे जो **कि अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी हैं। प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है तथा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते थे।** अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 व 4

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पर जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत नहीं है। उक्त तनकियात का निर्णय अपीलाण्ट/वादीगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध तय किया जाता हैं चूंकि विवादक संख्या 1 अपीलाण्ट/वादीगण साबित नहीं कर पाये हैं इसलिए विवादक संख्या 2 का निर्णय भी के कारण वादीगण अपीलाण्ट के विरूद्ध तय किये जाते हैं।

1. तनकी संख्या 3 आया दीगण प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 17 के खिलाफ इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के मजाज है कि प्रतिवादीगण कब्जा विवादित भमि वादीगण में कभी भी खुद व अपने आदमियों द्वारा मदाखलत बेजा न करें ? इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। चूंकि तनकी संख्या 1 के का निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित किया जा चुका है तथा उपरोक्त भूमि के अपीलाण्ट खातेदार नहीं है तथा अपीलाण्ट प्रश्गनत भूमि के खातेदार नहीं है तथा न ही उनका कोई हक व हिस्सा है। इसकारण उक्त तनकी का निर्णय भी अपीलाण्ट के विरूद्ध तय किया जाता है।
1. तनकी संख्या 5– आया कि प्रतिवादीगण संख्या–19 ता 22/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 अपने निस्फ हिस्सा हिस्सा का खाता व लगान तकसीम कराने के अधिकारी हैं–। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ––इस तनकी को सिद्ध करने का भार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 पर था क्योंकि तनकी संख्या 4 का निर्णय रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध तय किया गया है उपरोक्त भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा होना साबित नहीं है उक्त परिस्थितियों में उक्त तनकी का निर्णय भी रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. उपरोक्त तथ्यों के अलावा अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 सं0 1 ता 4 का यह कथन है कि रेस्पोडेण्ट सं0 9 को अपील में क्रॉस आब्जेक्शन पेश करने का अधिकार नही है। इस संबंध में हमारे मतानुसार आदेश 41 नियम 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रोस ऑब्जैक्शन प्रस्तुत करने का अधिकारी है। उक्त अधिनियम के प्रावधान निम्न है : Order 41 Rule 22 – Upon hearing respondent may object to decree as if he had preferred a separate appeal- & (1) Any respondent , though he may not have appealed from any part of the decree, may not only support the decree (but may also state that the finding against him in the Court below in respect of any issue

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ought to have been in his favour; and may also take any cross objection) to the decree which he could have taken by way of appeal provided he has filed such objection in the Appellant court with in one month from the date of service on him or his pleader of notice of the day fixed for hearing the appeal- or within such further time as the Appellate Court may see fit to allow- रेस्पाडेण्ट ने सम्मन की तामील प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 9 पर होने पर एक माह की अवधि के अन्दर अन्दर प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 9 के द्वारा निर्णय व डिक्री से व्यथित होने के नाते क्रोस ऑब्जैक्शन प्रस्तुत किये है जो आदेश 41 नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत है।

3. रेस्पोडेण्ट सं0 9 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 मृतकों के खिलाफ पारित किया है एवं कानूनन मृतक के खिलाफ पारित डिक्री शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के विचारण दौरान प्रतिवादी संख्या 6 हरबाई बेवा छोगमल का देहान्त सन् 2007 में, प्रतिवादी संख्या 7 सावित्री बेवा नागरमल का देहान्त सन् 2013 में, प्रतिवादी संख्या 14 कमला पुत्री छोगमल का देहान्त सन् 2012 में, प्रतिवादी संख्या 15 इन्दिरा पुत्री छोगमल का देहान्त सन् 2014 में, प्रतिवादी संख्या 10 गंगादेवी पुत्री दुर्गादेवी का देहान्त सन् 2008 में एवं कृष्णा पुत्री दुर्गादेवी का देहान्त सन् 2010 में हो चुका था। प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 9 ने अपने कथनों के समर्थन सावित्री देवी, कमला देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। अपीलाण्ट व रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ने इनका कोई खण्डन पेश नही किया है तथा इनसे स्पष्ट है कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 मृतकों के खिलाफ बिना विधिक प्रतिस्थापन किये पारित किये गये है जो कि शून्य है। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त स्पष्ट है :–AIR 2017 Supreme Court 2419 Civil Procedure Code, 1908 – Order 2, Rules 3 and 4 read with Section 100—Specific Relief Act, 1963 – Section 20 & Substitution Suit for Specific performance of contract & Appeal could be revived for hearing only when proposed legal representatives of deceased persons had filed application for substitution of their names

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

and secondly, they had applied for setting aside of abatement under order 22 rule 9 of CPC&Decree passed by court] if it is a nullity, its validity can be questioned in any proceeding including in execution proceeding or even in collateral proceedings whenever such decrec is sought to be enforced by decree holder – Decree passed by a court for or against a dead person is a nullity- 2010 RRT (2) 1207, 1982 RRD 525, 1977 RRD 438 उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तों में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **मृतक के खिलाफ अथवा पक्ष में पारित की गयी डिक्री शून्य है। हस्तगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाहिरा तौर से निर्णय एवं डिक्री मृतक के खिलाफ पारित किया है इसलिये शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।** उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलौक में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी/रेस्पो संख्या 9 की ओर से प्रस्तुत क्रोस ऑब्जैक्शन स्वीकार किये जाने योग्य है अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 वाद पत्र एवं काउण्टर क्लेम का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 खारिज किये जाने योग्य है तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने योग्य है।

4. अतः उपरोक्त अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं प्रार्थी/रेस्पो संख्या 9 की ओर से प्रस्तुत क्रोस ऑब्जैक्शन स्वीकार किया जाता है अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 वाद पत्र एवं काउण्टर क्लेम का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 खारिज किये जाते है तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00021 (124/2016) 223 आरटीएक्ट

1. विमला धर्मपत्नि स्व० श्री श्योबीर पुत्र स्व० श्री मदन,
2. कृष्ण
3. बाला
4. सुमन
5. रेखा

पिसरान स्व० श्री श्योबीर पुत्र स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी ग्राम भरवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

6. रतीराम पुत्र स्व० श्री मदनलाल, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा
7. परमेश्वरी धर्मपत्नि स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा,
8. राजू पुत्र स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
9. गंगा पुत्री स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
10. कौशल्या पुत्री स्व० श्री मदन, जाति जाट, निवासी भरवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

––अपीलांट/वादीगण

बनाम

1. मोहरा पुत्री रामजी धर्मपत्नि श्री उदमीराम, जाति जाट, निवासी खेड़ी, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. चिंरजी
3. रणधीर
4. रोशनलाल

पुत्रगण शांति पुत्री रामजी पत्नि मनोहरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम खेड़ी, तहसील व जिला हनुमानगढ़

––असल रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या–19 से 22

5. लक्ष्मणदास पुत्र छोगमल, जाति महाजन, निवासी 245 बिनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. हरबाई बेवा छोगमल, जाति महाजन, निवासी 245 बिनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. सावित्री बेवा नागरमल, जाति महोजन, निवासी 32–बी ब्लॉक श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. जुगलकिशोर
9. लीलाधर

पिसरान नागरमल, जाति महाजन, निवासी 32–बी ब्लॉक, 19–7 श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

10. चेतराम पुत्र श्रीमति दुर्गादेवी जाति महाजन, निवासी जैतोमड़ी मार्फत मै0 पूणचन्द पवन कुमार किरयाना मचेन्ट जैतामण्डी, जिला फरीदकोट (पंजाब)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

11. प्रेम कुमार पुत्र श्रीमति दुर्गादेवी जाति महाजन, निवासी बठिण्डा मार्फत स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एमएससी ब्रांच नजदीक दुर्गा मंदिर बठिण्डा (पंजाब)
12. भगवन्तराम पुत्र श्रीमति दुर्गादेवी जाति महाजन, निवासी बाघा पुराना एलडीसी पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड बाघा पुराना, जिला फरीदकोट (पंजाब)
13. मोहनलाल पुत्र श्रीमति दुर्गादेवी जाति महाजन, निवासी जैतामेड़ी मार्फत मै0 मितल हाऊस जैतामेड़ी जिला फरीदकोट (पजाब)
14. गंगादेवी पुत्री श्रीमति दुर्गादेवी धर्मपत्नि देवीचन्द,, जाति महाजन, निवासी जान छावनी, मार्फत मै0 ब्रदीप्रसाद जगन्नाथ बाजार नबर–2 फिरोजपुर (पंजाब)
15. कृष्णा पुत्री श्रीमति दुर्गादेवी, जाति महाजन पति श्री जगननाथ, निवासी फिरोजपुर मार्फत मै0 ब्रदीप्रसाद–जगननाथ, बाजार नम्बर–2 फिरोजपुर (पंजाब)
16. सन्तोष पुत्री श्रीमति दुर्गादेवी, जाति महाजन पत्नि श्री नारायणदास, निवासी फरीदकोट मार्फत श्रीमति मैसर्स बृजलाल, बलदेवराम माल रोड फरीदकोट (पंजाब)
17. रंजनी पुत्री श्रीमति दुर्गादेवी, जाति महाजन पत्नि श्री विजय कुमर, निवासी देहली, 1234 कूचा चेलन खारी, बावली. देहली–
18. कमला पुत्री छोगमल धर्मपत्नि नत्थूराम, जाति महाजन, गोयल रेस्टोरेन्ट कार्ट, रोड़, बठिण्डा (पंजाब) –
19. इन्दिरा पुत्री छोगमल धर्मपत्नि श्यामसुन्दर, महाजन स्टोक, मैन पंचायत समिति, महाजन, स्टोक मैन पंजाब समिति, हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ–
20. गोपीराम पुत्र छोगमल, जाति महाजन, निवासी 32–बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
21. महावीर पुत्र छोगमल, जाति महाजन, निवासी 245 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर–
22. स्टेट, जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

–रेस्पोडेंट / प्रतिवादीगण 1 से 18

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा, बमुकदमा राजस्व वाद संख्या–148 / 2003 शीर्षक श्योबीर (फौत) मु० विमला आदि बनाम लक्ष्मणदास आदि

रूबरू हाजिर श्री श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1, श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4, श्री राजेश रोकणा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 9, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 22 की ओर से उपस्थित होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं प्रार्थी/रेस्पो संख्या 9 की ओर से प्रस्तुत क्रोस ऑब्जैक्शन स्वीकार किया जाता है अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 वाद पत्र एवं काउण्टर क्लेम का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 खारिज किये जाते है तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री आज दिनांक दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर सुनाई गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.23 18:10:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: